न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 61/2020(2020/00377)

अनवान : –

1. कौरसिंह पुत्र हरफुलसिंह जाति जाट निवासी झोरड़पुरावास भादरा तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. रणवीरसिंह पुत्र हरफुलसिंह जाति जाट निवासी भादरा।
3. बलवीरसिंह पुत्र हरफुलसिंह जाति जाट निवासी भादरा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री पवन सिहाग प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 22/12/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम गंगासिंहपुरा बारानी के वर्तमान खाता सं 30/26/53 के मुरब्बा न0 7, 8, 9, 10, 43, 50, 51 की कुल 13.814 हैक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम 732 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम केहरसिंह पुत्र फुलसिंह की बजाऐ कौरसिंह पुत्र हरफुलसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता हरफुलसिंह के केहरसिंह नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र, मूलनिवास, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड व राशनकार्ड में भी प्रार्थी का नाम कौरसिंह पुत्र हरफुलसिंह दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में केहरसिंह पुत्र फुलसिंह की बजाऐ कौरसिंह पुत्र हरफुलसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम केहरसिंह पुत्र फुलसिंह के स्थान पर अपना सही एवं [illegible] नाम कौरसिंह पुत्र हरफुलसिंह दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:31 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कौरसिंह पुत्र हरफुलसिंह के स्थान पर केहरसिंह पुत्र फुलसिंह दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

केहरसिंह पुत्र फुलसिंह दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के ग्राम गंगासिंहपुरा बारानी के वर्तमान खाता सं 30/26/53 में प्रार्थी का नाम कौरसिंह पुत्र हरफुलसिंह दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने रिपोर्ट पेश की व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश कर सहमति जाहिर की। जिनके तथ्य अपनी जानकारी में होना बताया जो सही होना स्वीकार किया गया।

तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 05.11.2020 को रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें नाम संशोधन करने हेतु अभिशंषा की गई है। जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा ग्राम गंगासिंहपुरा बारानी के वर्तमान खाता सं 30/26/53 के मुरब्बा न0 7, 8, 9, 10, 43, 50, 51 की कुल 13.814 हैक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम 732 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम जमाबन्दी सम्वत 2038 तैयार करते समय प्रार्थी का सही नाम कौरसिंह पुत्र हरफुलसिंह के स्थान पर केहरसिंह पुत्र फुलसिंह दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपना शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति आधार कार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र, मूलनिवास, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड व राशनकार्ड पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम कौरसिंह पुत्र हरफुलसिंह अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही रोही मौजा ग्राम गंगासिंहपुरा बारानी के वर्तमान खाता सं 30/26/53 के मुरब्बा न0 7, 8, 9, 10, 43, 50, 51 की कुल 13.814 हैक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम 732 हिस्सा में प्रार्थी का नाम **''केहरसिंह पुत्र फुलसिंह के स्थान पर कौरसिंह पुत्र हरफुलसिंह''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच केहरसिंह पुत्र फुलसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से केहरसिंह पुत्र फुलसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए केहरसिंह ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 22/1/21 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ